

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 23 सितम्बर, 2011

विषय— राजकीय चिकित्सालयों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 84/रा0क0/आर.सी.एच./2010, दिनांक 23.06.2011 एवं शासनादेश संख्या-715/XXVIII 5 2011/2010 दिनांक 21.06.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सालयों (जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के सामान्य वार्डों में होने वाले सामान्य एवं सिजेरियन प्रसवों तथा 30 दिन तक के बीमार नवजात शिशुओं के इलाज हेतु निम्नलिखित निःशुल्क उपचार सुविधाएं प्रदान करने की श्रीराज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :

1- गर्भवती महिलाओं हेतु अनुगन्ध सुविधाएं :-

1. निःशुल्क पंजीयन/मर्ती।
2. निःशुल्क प्रसव एवं शल्य किया।
3. निःशुल्क औषधि। (औषधि स्टॉक में न होने की स्थिति में स्थानीय कय कर निःशुल्क उपलब्धता)।
4. निःशुल्क नैदानिक सुविधा यथा :- रक्त, मूत्र परीक्षण एवं अल्ट्रा साउण्ड/एक्स-रे इत्यादि एवं रक्त संचरण (Blood Transfusion)।
5. चिकित्सालय में निःशुल्क भोजन।
6. प्रसूता को चिकित्सालय हेतु निःशुल्क आवागमन एवं आवश्यकता पड़ने पर किसी उच्च चिकित्सा इकाई में सन्दर्भण हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा।
7. इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के उपभोग शुल्क (यूजर्स चार्ज) नहीं लिये जायेंगे।

2- 30 दिनों तक के बीमार नवजात शिशु के इलाज हेतु निःशुल्क उपचार की अनुगन्धता सुविधाएं :-

1. निःशुल्क पंजीयन/मर्ती एवं निःशुल्क उपचार।
2. निःशुल्क औषधि। (औषधि स्टॉक में न होने की स्थिति में स्थानीय कय कर निःशुल्क उपलब्धता)।
3. निःशुल्क नैदानिक सुविधा यथा :- रक्त, मूत्र परीक्षण एवं अल्ट्रा साउण्ड/एक्स-रे इत्यादि एवं रक्त संचरण (Blood Transfusion)।

6920


Div (N.P.)

28/9

4. उपचार के लिये चिकित्सालय हेतु निःशुल्क आवागमन एवं आवश्यकता पड़ने पर किसी उच्च चिकित्सा इकाई में सन्दर्भण हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा।
5. इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) नहीं लिये जायेंगे।

3- अन्य प्राविधान-

1. उक्त योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।
 2. उक्त योजना की समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जायेगी।
 3. उक्त योजना के लागू होने से पूर्व लाभार्थी से जो भी अनुमन्य उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) अस्पताल द्वारा लिये जाते थे अब वह उपरोक्त व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा अस्पताल को प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जायेंगे। यूजर चार्ज के प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हो रही धनराशि के प्रयोग के सम्बन्ध में चिकित्सालयों के चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के लिये पूर्व निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 4. इस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आवंटित बजट से किया जायेगा।
 5. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 715/XXVIII-5-2011-101-2009 दिनांक 21 जून 2010 को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जायेगा। उक्त शासनादेश में उल्लिखित शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० पत्र संख्या-184(p)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 22 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

गवर्दीया

 (मनीषा पवार)

संख्या (1)/XXVIII-4-2011-41/2010 तद्दिनांक ।

सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. श्री पी.के. प्रधान, आई.ए.एस. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०- 3/चिकित्सा अनुभाग 5/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
12. माल फाइल।

आज्ञा से,

(पीयूष सिंह)
 अपर सचिव